नकल प्र. मु. लखनलाल / ललित किशोर
मुं नं. 32/10 नि. दि. 8.1.24

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 ए. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix 'D'-1)

अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बाडी जिला धौलपुर (राज0)**
इजलास **श्री यशवन्त मीणा (R.A.S.)**

1. लखनलाल पुत्र स्व0 पन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी सुनार गली कोटपाडा बाडी तह0 बाडी

बनाम

1. ललित किशोर पुत्र स्व0 पन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी सुनार गली कोटपाडा बाडी तह0 बाडी ––दौराने दावा मृत

1/1 यदुवंश पुत्र ललित किशोर
1/2 पवन पुत्र ललित किशोर
1/3 मीरादेवी पुत्री ललित किशोर
1/4 गीतादेवी पत्नी स्व0 हरीदत्त
1/5 भूपेन्द्र उर्फ बन्टी पुत्र स्व0 हरीदत्त
1/6 सीमा पुत्री स्व0 हरीदत्त
} जातिगण ब्राह्मण निवासीगण सुनार गली कोटपाडा बाडी तह0 बाडी

2. काशीराम पुत्र स्व0 पन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी सुनार गली कोटपाडा बाडी तह0 बाडी ––दौराने दावा मृत

2/1 उमारानी पत्नी स्व0 काशीराम
2/2 बृजमोहन पुत्र स्व0 काशीराम
2/3 मनोज कुमार पुत्र स्व0 काशीराम
2/4 राजकुमार पुत्र स्व0 काशीराम
2/5 शशीकान्त पुत्र स्व0 काशीराम
2/6 रजनी पुत्री स्व0 काशीराम
2/7 लक्ष्मी उर्फ माधवी पुत्री स्व0 काशीराम
} जातिगण ब्राह्मण निवासीगण सुनार गली कोटपाडा बाडी तह0 बाडी

3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बाडी
4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बाडी

सत्यप्रतिलिपि
उपखण्डाधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज.

दावा दावत

मुकदमा नं. **32 / 2010**
यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वय
व हाजरी **श्री जे0पी0 मित्तल एड0** मिनजानिब मुद्दई **श्री बनवारलाल शर्मा, रवि पचौरी एड0** मिनजानिब मुख्यलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है

दावा वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत आराजी में वादी को ख0नं0 5837 रकबा 0.2023 हैक्टे0, 5835 रकबा 0.2150 हैक्टे0, 5795 रकबा 0.2276 बांके कस्वा बाडी नं0 2 व 3149 रकबा 0.3667 हैक्टे0, 3106 रकबा 0.3920 हैक्टे0 बांके कस्वा बाडी नं0 3 कुल किता 5 कुल रकबा 1.4036 हैक्टे0 तथा प्रति0 सं0 1/1 हिस्सा 1/4, प्रति0 सं0 1/2 हिस्सा 1/4, प्रति0 सं0 1/3 हिस्सा 1/4, प्रति0 सं0 1/4 लगा0 1/6 हिस्सा 1/4 को ख0नं0 5841 रकबा 0.6323 हैक्टे0, 5870 रकबा 0.5185 हैक्टे0 बांके कस्वा बाडी नं0 2 व 3113/2 रकबा 0.2065 हैक्टे0 दक्षिण दिशा की ओर बांके कस्वा

बाडी नं0 3 कुल किता 3 कुल रकवा 1.3573 हैक्टे0 एवं प्रति0 सं0 2/1 लगा0 2/7 को ख0नं0 3111 रकवा 0.2782 हैक्टे0, 3112 रकवा 0.2782 हैक्टे0, 3113/1 रकवा 0.2867 उत्तर दिशा की ओर बांके कस्वा बाडी नं0 3 व 5838 रकवा 0.2529 हैक्टे0, 5836 रकवा 0.2150 हैक्टे0 बांके कस्वा बाडी नं0 2 कुल किता 5 कुल रकवा 1.3110 हैक्टे0 के अनुसार बंटवारा किया जाता है। उक्तानुसार बंटवारे के पृथक पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज किये जावें तथा नक्शा अक्श में नियमानुसार तरमीम कर पृथक पृथक खसरा नम्बर डाले जावें। रहन का इन्द्राज यथावत रहेगा। राजीनामा डिक्री का जुज रहेगा। मुद्रांक कर अधिनियम के शेड्यूल व आर्टीकल 42 के तहत मुद्रांक जमा कराया जावे।

नीज .... मुबलिग.................... बाबत ....खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शहर .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक .... को अदा करें।

वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08 माह 01 साल 2024 को जारी की गई।

दस्तखत ....

मुहर

ओहदा **उपखण्ड अधिकारी बाडी**

उपखण्ड अधिकारी बाड़ी (धौलपुर) रा

सत्यप्रतिलिपि

उपखण्डाधिकारी बाड़ी (धौलपुर) राज

मुद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प मरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील) रू0		
महनतनामा वकील) रू0			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बालत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोट इस फार्म पर कुल खर्चा हर रो फरीकेन का वाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या/नही खर्च करना चाहिये।

निरस्त

क्रमांक 54 दिनांक 13.3.24
1. प्रा. पत्र देने वाले का नाम श्री ओमप्रकाश/लखनलाल
2. प्रा. पत्र देने का दिनांक 13.3.24
3. नकल तैयार दिनांक 14.3.24
4. नकल देने का दिनांक 14.3.24
5. नकल शुल्क 2-50

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला – धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – **श्री यशवन्त मीणा (आर0ए0एस0)**

उनवान

लखनलाल **बनाम** ललित किशोर

1. लखनलाल पुत्र स्व0 पन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी सुनार गली कोटपाडा बाडी तह0 बाडी

वादी :–

बनाम

1. ललित किशोर पुत्र स्व0 पन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी सुनार गली कोटपाडा बाडी तह0 बाडी ––दौराने दावा मृत

1/1 यदुवंश पुत्र ललित किशोर
1/2 पवन पुत्र ललित किशोर
1/3 मीरादेवी पुत्री ललित किशोर
1/4 गीतादेवी पत्नी स्व0 हरीदत्त
1/5 भूपेन्द्र उर्फ बन्टी पुत्र स्व0 हरीदत्त
1/6 सीमा पुत्री स्व0 हरीदत्त

} जातिगण ब्राह्मण निवासीगण सुनार गली कोटपाडा बाडी तह0 बाडी

2. काशीराम पुत्र स्व0 पन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी सुनार गली कोटपाडा बाडी तह0 बाडी ––दौराने दावा मृत

2/1 उमारानी पत्नी स्व0 काशीराम
2/2 बृजमोहन पुत्र स्व0 काशीराम
2/3 मनोज कुमार पुत्र स्व0 काशीराम
2/4 राजकुमार पुत्र स्व0 काशीराम
2/5 शशीकान्त पुत्र स्व0 काशीराम
2/6 रजनी पुत्री स्व0 काशीराम
2/7 लक्ष्मी उर्फ माधवी पुत्री स्व0 काशीराम

} जातिगण ब्राह्मण निवासीगण सुनार गली कोटपाडा बाडी तह0 बाडी

प्रतिवादीगण :–

3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बाडी
4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बाडी

तरतीवी प्रतिवादीगण :–

सत्यप्रतिलिपि
उपखण्डाधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज

उपस्थित वादी के वकील – श्री जे0पी0 मित्तल एड0
प्रति0 के वकील – श्री बनवारीलाल शर्मा, रवि पचौरी एड0

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 रा0का0अधि0

दिनांक :— 08.01.2024

दावा सं. 32/2010

निर्णय

वादी द्वारा उक्त उनवान का दावा पेश कर निवेदन किया है कि :—

आराजी ख0नं0 3106/1—11, 3111/1—02, 3112/1—02, 3113/1—19, 3149/1—09 बांके कस्वा बाडी नं0 3 तह0 बाडी तथा आराजी ख0नं0 5795/0—18, 5835/0—17, 5836/0—17, 5837/0—16, 5838/1—00, 5841/2—10, 5870/2—01 बांके कस्वा बाडी नं0 2 तह0 बाडी में वादी हिस्सा 1/3, प्रति0 सं0 1 हिस्सा 1/3, प्रति0 सं0 2 हिस्सा 1/3 के संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार काबिज है। विवादित आराजी का बंटवारा आज तक वादी व प्रति0 के मध्य नहीं हुआ है। विवादित आराजी संयुक्त रूप से काश्त की जा रही है व राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रति0 सं0 1 व 2 के नाम से दर्ज है। दिनांक 20.04.2010 को वादी विवादित आराजी पर पहुंचा और प्रति0 सं विवादित आराजी का बंटवारा कराने की कहा तो प्रति0 ने जाहिर किया कि विवादित आराजी का कोई बंटवारा नहीं करेंगे तथा भविष्य में वादी को विवादित आराजी के संयुक्त कब्जे काश्त से बेदखल करेंगे। अकेले प्रति0 काश्त करेंगे तथा विवादित आराजी आराजी को बिना बंटवारा कराये किसी लट्ठ व चलाव वाले व्यक्ति को हस्तान्तरित कर देंगे। जो वादी को बेदखल कर देगा। प्रति0 को बिना विधिवत बंटवारा कराये विवादित आराजी के किसी भी भाग को बिना वादी की सहमति से हस्तान्तरित करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वादी को आवश्यक हो गया है कि वह विवादित आराजी को बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस से हिस्सेनुसार कराये तथा वादी के हिस्से में आयीं आराजी पर एकाधिपत्य प्राप्त कर अलग से खाता व लगान कायम कराये तथा प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराये कि वह जब तक विवादित आराजी का कानूनन बंटवारा नहीं होता है तब तक विवादित आराजी को किसी भी प्रकार से रहन वय मुन्तकिल नहीं करें। ना ही वादी को बेदखल करे। ना ही वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बेजा पैदा करें। यदि प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द नहीं किया गया तो वादी को ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी अर्थात वादी को अपरमित क्षति होने की पूरी संभावना है।

इस प्रकार दावा में वादी ने निवेदन किया कि :—

विवादित आराजी का बंटवारा माप व सीमांकन से वादी के हिस्सा 1/3 का किया जावे एवं उस पर वादी का एकाधिपत्य कराया जावे व अलग से खाता व लगान कायम किया जावे। प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि विवादित आराजी को बिना बंटवारा कराये किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं करें। ना ही विशिष्ट भाग पर किसी भी व्यक्ति को कब्जा दें। ना ही वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बेजा पैदा करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति0 द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर दावे में अंकित तथ्यों को अस्वीकार कर विशेष आपत्ति में अंकित किया कि :—

वादी जिस जायदाद का बंटवारा कराना चाहता है उस जायदाद का बाहमी बंटवारा जून 1987 में ही हो चुका है तथा उस बंटवारे के अधीन जो भूमि वादी व

सत्यप्रतिलिपि
उपखण्डाधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज

प्रति0 सं0 1 व 2 के मध्य आयी थी उसका विवारण जबावदावा की मद सं0 2 में दर्शाया गया है। इस जायदाद पर सन् 1987 से ही वादी व प्रति0 सं0 1 व 2 अलग अलग भौतिक रूप से काबिज रहकर काश्त कर रहे है। अतः वादी का यह कथन कि वह बंटवारा करवाने की बात करने के लिए प्रति0 से मिला अपने आप में अजीब प्रतीत होता है। वादी ने यह झूठी नालिश इसलिए दायर की है कि वाहमी बंटवारे में उसके हक में करीब 9 विस्वा भूमि कम आयी थी क्योंकि उसे जो भूमि दी गई थी वह औरों से ज्यादा कीमती व उपजाऊ थी। अब वादी अपनी बदनीयती के कारण प्रति0 से वह भूमि भी हडपना चाहता है। इसलिए उसने यह दावा पेश किया है। अतः जो वाहमी बंटवारा जून 1987 में इस प्रकार हुआ था कि ललित किशोर के हक में ख0नं0 5795/0–18, 5841/2–10, 5870/2–01 कुल भूमि 5–09 बांके बाडी नं0 2 तथा लखनलाल के हक में ख0नं0 5835/0–17, 5838/1–00 बांके कस्वा बाडी नं0 2 व 3106/1–11, 3149/1–09 बांके कस्वा बाडी नं0 3 कुल भूमि 4–17 एवं काशीराम के हक में ख0नं0 5836/0–17, 5837/0–16 बांके कस्वा बाडी नं0 2 व 3111/1–02, 3112/1–02, 3113/1–19 बांके कस्वा बाडी नं0 3 कुल भूमि 5–16 आयी। इसी अनुसार सभी भौतिक रूप से काबिज रहकर काश्त कर रहे है, के अनुसार राजस्व रिकार्ड में पृथक पृथक इन्द्राज किया जावे तथा वादी का पुनः बंटवारा का अनुतोष खारिज किया जावे।

तत्पश्चात वादी ने प्रार्थना पत्र पत्रावली तलवी का प्रस्तुत कर दोनों पक्षों के मध्य हुए राजीनामा को प्रस्तुत किया गया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा दावा डिकी किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की।

बहस योग्य वकील उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी सं0 2062–65 से यह तो स्पष्ट है कि उक्त जमाबन्दियों में वादी व प्रति0 सं0 1 व 2 हिस्सा 1/3, 1/3 के खातेदार काश्तकार दर्ज है। राज0काश्त0अधि0 के मुताबिक सह खातेदारी की आराजी का बंटवारा किसी भी सह खातेदार द्वारा कराया जा सकता है। प्रस्तुत वाद में प्रति0 द्वारा वादी के साथ राजीनामा कर सहमति से बंटवारा किया जाकर वादी का दावा मुताबिक राजीनामा डिकी किये जाने का निवेदन किया है। प्रस्तुत राजीनामा लोकहित की भावना से प्रस्तुत किया गया है। जिसे स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार वादी प्रश्नगत आराजी का बंटवारा मुताबिक राजीनामा कराने का अधिकारी है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत आराजी में वादी को ख0नं0 5837 रकवा 0.2023 हैक्टे0, 5835 रकवा 0.2150 हैक्टे0, 5795 रकवा 0.2276 बांके कस्वा बाडी नं0 2 व 3149 रकवा 0.3667 हैक्टे0, 3106 रकवा 0.3920 हैक्टे0 बांके कस्वा बाडी नं0 3 कुल किता 5 कुल रकवा 1.4036 हैक्टे0 तथा प्रति0 सं0 1/1 हिस्सा 1/4, प्रति0 सं0 1/2 हिस्सा 1/4, प्रति0 सं0 1/3 हिस्सा 1/4, प्रति0 सं0 1/4 लगा0 1/6 हिस्सा 1/4 को ख0नं0 5841 रकवा 0.6323 हैक्टे0, 5870 रकवा 0.5185 हैक्टे0 बांके कस्वा बाडी नं0 2 व 3113/2 रकवा 0.2065 हैक्टे0 दक्षिण दिशा की ओर बांके कस्वा बाडी नं0 3 कुल किता 3 कुल रकवा 1.3573 हैक्टे0 एवं प्रति0 सं0 2/1 लगा0 2/7 को ख0नं0 3111 रकवा 0.2782 हैक्टे0, 3112 रकवा 0.2782 हैक्टे0,

सत्यप्रतिलिपि

उपखण्डाधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज

3113 / 1 रकबा 0.2867 उत्तर दिशा की ओर बांके कस्वा बाडी नं0 3 व 5838 रकबा 0. 2529 हैक्टे0, 5836 रकबा 0.2150 हैक्टे0 बांके कस्वा बाडी नं0 2 कुल किता 5 कुल रकबा 1.3110 हैक्टे0 के अनुसार बंटवारा किया जाता है। उक्तानुसार बंटवारे के पृथक पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज किये जावें तथा नक्शा अक्श में नियमानुसार तरमीम कर पृथक पृथक खसरा नम्बर डाले जावें। रहन का इन्द्राज यथावत रहेगा। राजीनामा डिकी का जुज रहेगा। मुद्रांक कर अधिनियम के शेड्यूल व आर्टीकल 42 के तहत मुद्रांक जमा कराया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बाडी

उपखण्ड अधिकारी
बाडी (धौल)

सत्यप्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज

क्रमांक 54 दिनांक 13.3.24
1 प्रा. पत्र देने वाले का नाम श्री दीपक / लक्ष्मणलाल
2. प्रा. पत्र देने का दिनांक 13.3.24
3 नकल तैयार दिनांक 14.3.24
4 नकल देने का दिनांक 14.3.24
5 नकल शुल्क 4-50